

पत्रावली विभाग  
 20/11/2018  
 - 20/11/2018

15578

पत्रावली मापदण्डों के अलावा अन्य कई  
 मापदण्डों में प्रस्तावित मापदण्डों में कई  
 संशोधन उपस्थित नहीं हैं। पत्रावली एवं  
 पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन  
 किया गया। प्रार्थी का वाद उद्भवण, संशोधन  
 प्रस्ताव, हवालामुताबक प्रस्ताव (निवेदन) से  
 स्पष्ट सिद्ध है।

- (i) उपरोक्त प्रस्तावों के संदर्भ :- वादग्रस्त प्रार्थी का वाद उद्भवण एवं  
 संशोधन प्रस्तावों में प्रार्थी एवं रिकार्ड की पश्चात्स्थावकता के  
 स्पष्ट सिद्ध प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है।
- (ii) सुविधा का संतुलन :- वादग्रस्त प्रार्थी पर प्रार्थी संतुलन  
 प्रस्तावों से स्पष्ट सिद्ध प्रार्थी के पक्ष में वाद  
 उत्पन्न है।
- (iii) अपूर्णीय प्रार्थी का सिद्धान्त :- वादग्रस्त प्रार्थी वादग्रस्त

20/11/2018  
 - 20/11/2018

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्याय जापके द्वार 2018

सहायक कलेक्टर का नाम मुकाम कैम्प कोर्ट साबले श्वर

सोने श्वर बनाम भूमिदाता

नं. 218 सन 15

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम या इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

मिस्री में इपुर्वा गिण केलात जज रिपोर्ट इन्फो के  
 250, बप एवं इतरानु रखा मजे की पूर्ण निष्पत्ति  
 उगी होती है। इपुर्वा गिण के इतर 250, बप  
 एवं इतरानु रखा मजे की रिपोर्ट में उर्बा के  
 इपुर्वा गिण की इतर के मजबूत प्रह निरु भी  
 उर्बा के प्रह में पाया जा रहा है। इतर  
 उर्बा के इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति  
 के इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति है।  
 उर्बा के इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति  
 इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति के  
 आदेश दिनांक 2-9-2010 बाद के निष्पत्ति  
 एक कम्पनि किया जाता है। उतरानु रखा  
 इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति के मजे इतरानु  
 बाद इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति के मजे  
 मूल बाद के निष्पत्ति है। निर्णय राज्य के  
 लोक अदालत कैम्प कोर्ट साबले श्वर के  
 मजबूत आर्वा निष्पत्ति किया जाता है।  
 इतरानु रखा मजे आर्वा निष्पत्ति

द्वारा  
 सहायक कलेक्टर  
 न्याय

